न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/12

1. स्व0 गुलाब पुत्र स्व0 बिरधा जाति चमार हक त्याग परमानन्द पुत्र नाथू जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0
2. घींसी बाई बेवा नाथूलाल जाति चमार, निवासी मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
3. मांगीबाई पुत्री स्व0 नाथू, पत्नी दुर्गालाल जाति चमार निवासी चोसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
4. मनभर पुत्री नाथू पत्नी दुर्गालाल जाति चमान निवासी चोसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
5. रेखा पुत्री स्व0 नाथू पत्नी बाबूलाल, जाति चमार निवासी ग्राम कदायला तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0
6. पूजा पुत्री स्व0 नाथू, पत्नी बाबूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——अपीलान्ट

बनाम

1. रोडीबाई पुत्री राध्या, जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. स्व0 रघुनाथ आत्मज परवत सिंह जाति राजपूत जर्ये कायममुकाम
   2/1–शम्भू सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ, जाति राजपूत
   2/2–दुर्गा सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत
   2/3– जतन कंवर पत्नी स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत
3. स्व0 रामीबाई पुत्री राध्या, पत्नी रामलाल निवासी हाल खानपुरिया जिला झालावाड़ राज0 जर्ये कायममुकामान–
   3/1–भवानी लाल पुत्र स्व0 रामलाल
   3/2–मांगी बाई पुत्री स्व0 रामलाल
   निवासीगण–खानपुरिया तहसील व जिला झालावाड़ राज0
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2025/12
परमानन्द बनाम रोड़ी बाई वगै0

उपस्थित वक्त बहस :—1. श्री बी.सी.मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.09.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रोडी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय मैं वाह संख्या 113/2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अम्मतर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1027 की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। वादिनी के पिता से अपनी बीमारी के ईलाज के लिए वादी कम 02 से उधार लेकर उक्त भूमि उनको पांति काश्त पर दे दी थी। वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद वादिनी को सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी वादिनी के ताऊ बिरधा के पुत्र गुलाब व पौत्र नाथूलाल के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई । वादिनी के पिता के खाते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 76 से प्रतिवादी कम 01 के नाम खोल दिया उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत गोयन्दा से तस्दीक कराया। नाथूलाल के निधन होने पर उसके बजाय दिनांक 19.08.2004 को नामान्तरकरण संख्या 783 प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 06 का नाम वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज करने बाबत् तस्दीक किया गया जो अवैध है । नामान्तरकरण संख्या 76 व 783 अवैध है। प्रतिवादी कम 1 व 2 वादग्रस्त आराजी पर समस्त प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से उसको विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उनको अधिकार नहीं है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1027 की रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा ग्राम गोयन्दा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मैं उसके नाम का खातेदार कृषक इन्द्राज करने की डिक्री पारित की जावे। नामान्तरकरण संख्या 76 व 783 ग्राम पंचायत गोयन्दा अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वादिनी अथवा उसके पांतिदार वादी कम 02 को वादिनी के कब्जे काश्त की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करें ।

3. इसी प्रकार एक अन्य वाद वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रोडी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 114/2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत बाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 380 की 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 की 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 474 की 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 की 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 की 08 बीघा 02 बिस्वा कुल 06 किता की 28 बीघा 10 बिस्वा भूमि व चाह संख्या 476 रकबा 18 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि राध्या व बिरधा के सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदार राध्या के कोई पुत्र नहीं था उसकी विधवा पत्नी का भी देहान्त हो गया उनकी दो पुत्रियों रामी व रोडी वादिनी पैदा हुई जिसमें रामी का भी देहान्त हो

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

गया। केवल वादिनी रोडी की मृतक राध्या की वैध संतान है उसका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है। मृतक बिरधा के दो पुत्र प्रतिवादी कम 1 गुलाब व रतन पैदा हुए उनमे से रतन व उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया। मृतक बिरधा के वैध उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रतिवादी कम 01 गुलाब पौत्र नाथूलाल थे जिनका वादग्रस्त आराजी में बिरधा के 1/2 हिस्से पर संभाग से खातेदारी अधिकार प्राप्त प्राप्त हुए । वादग्रस्त आराजी में वांदिनी मृतक राध्या के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारनी है। नामान्तरकरण संख्या 76 के आधार पर जमाबन्दी में मृतक राध्या के बजाय 1/2 भाग भूमि पर मृतक नाथूलाल का नाम दर्ज किया गया है जो अवैध है। नाथूलाल की मृत्यु होने पर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण संख्या 540 से नाथूलाल के पुत्र–पुत्रियों व बेवा प्रतिवादीगण कम 02 लगायत 07 का नाम दर्ज कर दिया जो अवैध है। वादग्रस्त आरांजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादिनी को तथा पादग्रस्त आराजी का विभाजन कर 1/2 भाग भूमि उसके अलग खाते दर्ज की जाकर उसको कब्जा दिलाया जावे । वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 114/2012 में निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.01.2012 एवं वाद संख्या 143/2012 में निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.02.2012 के द्वारा वादिनी के दोनों वाद स्वीकार किए जाकर निर्णय व डिकी पारित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.01.2012 एवं 21.02.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनाक 10.08.2012 के द्वारा दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2012 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2015 के द्वारा दोनों वाद वादिनी स्वीकार कर डिकी कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में दो अलग–अलग अपीलें (अपील संख्या 15/231 एवं अपील संख्या 15/232) प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपीलें न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.10.2019 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2024 को वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

6. अपीलांट की ओर से अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 26.05.2024 को उक्त प्रकरण मे दोनो पक्षो की बहस पूर्ण हो चुकी थी तथा वाद को निर्णय हेतु रखा गया था जिसके बारे मे न्यायालय से निरन्तर सम्पर्क करने पर भी निर्णय पारित न करने को कहा गया इस प्रकार अपी० को अधी० न्याया० के आदेश की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 21.10.2024 को उक्त निर्णय के बारे मे अधिवक्ता प्रति० द्वारा गहनता से न्यायालय कार्यालय में जानकारी की तो पता चला कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय का स्थानान्तरण होने से पूर्व दिनांक 20.08.2024 को निर्णय पारित कर दिया। जिस पर अपी० द्वारा अधी० न्याया० मे दिनांक 21.10.2024 को निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 24.10.2024 को निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की तत्पश्चात अपी० बीमार हो गयी इसलिये अविलम्ब अपील प्रस्तुत नही कर सकी। जब प्रार्थिया (अपी०) स्वस्थ हुयी तो उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्ततुतत की जा रही है जो ज्ञान की तिथि से अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। न्यायहित में अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना आवश्यक है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, विधि तथा औचित्य के भी सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम मंडा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज० में स्थित भूमि खसरा नंबर 380 रकबा 1.14 बी0, खसरा नंबर–467 रकबा 3.13 बी०, खसरा नंबर– 474 रकबा 6.13 बी०, खसरा नंबर–473 रकबा 3.03 बी0, खसरा नंबर–475 रकबा 3.05 बी० तथा खसरा नंबर 464 रकबा 8.02 बी0 कुल खसरा 6 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा तथा चाह सं. 476 रकबा 18 बिस्वा सह खातेदारी मे दर्ज थी जो सम्वत् 2055 से 2058 मे प्रतिवादी नं० 1 के पति स्व० नाथू के संयुक्त खाते मे दर्ज हो गयी। इसी प्रकार ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज० मे स्थित भूमि खसरा नंबर 1027 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) के खाते दर्ज है। तथा राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि प्रतिवादी कम–2 लगायत 6 के खाते दर्ज है। उक्त भूमि का इन्ततकाल विधिवतत् प्रतिवादी कम–2 लगायत 6 के पक्ष में खोला जाकर आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज की गयी जिस पर प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गोर ना करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी पारित करने में भारी भूल की है इसलिये निर्णय व डिकी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य हैं। वादिनी/रेस्पो० रोड़ीबाई द्वारा ग्राम गोयन्दा तह० रामगंजमंडी जिला कोटा राज० में स्थित संयुक्त खातेदारी की आराजी के बाबत एक वाद सं. 113/2012 अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज० टी० एक्ट ग्राम मण्डा की आराजी बाबत तथा वााद सं. 114/2012 अन्तर्गत धारा 53 व 88 राज० टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सं. 114/2012 में दिनांक 18.01.2012 एवं वााद सं. 113/2012 में दिनांक 21.02.2012 मे निर्णय व डिकी वादिनी/रेस्पो० के पक्ष में निर्णित कर दी। उक्त दोनो निर्णयों व डिकीयों की अलग अलग अपीले की, उक्त दोनो अपीलो अपील सं. 231/2015 व 232/2015 को संयुक्त कर दिनांक 16.10.2019 को निर्णय पारित करते हुये दिनांक 21.05.2015 प्रकरण सं. 113/2012 व 114/2012 निरस्त कर दिशा निर्देशो के साथ प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल ग्राम मण्डा की आराजीयात के बारे मे ही निर्णय किया गया जबकि ग्राम गोयन्दा की आराजीयात के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान के द्वारा पारित निप्रय दिनांक 16.10.2019 की विधिवत पालना नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी श्रीमान द्वारा पारित निर्णय की विधिवत पालना नहीं करने के कारण त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गोर नहीं किया गया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात सम्वत् 2014 से 2033 तक बिरधा व राध्या के संयुक्त खाते में दर्ज थी, जो राध्या की मृत्यु के बाद इन्तकाल सं. 76 से विधिवत् राध्या के कोई पुत्र न होने के कारण बिरधा के पुत्र गुलाब व नाथू के पक्ष मे इन्तकाल खोला गया तथा समस्त आराजीयात गुलाब व रतन के संयुक्त खाते मे दर्ज हो गयी। तथा राध्या की मृत्यु के बाद उक्त तआराजीयात नाथ व गुलाब के खाते दर्ज हो गयी तत्पश्चात नाथू की मृत्यु के बाद इन्तकाल सं. 540 से नाथू के स्थान पर उसके वारिसान प्रति० न० 2 लगायत 6 के खाते दर्ज हो गयी। इस प्रकार उक्त समस्त आराजीयात मौजूदा स्थिति में अपीलांट (प्रतिवादीगण) के खाते दर्ज है और वही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। गुलाब द्वारा अपने हिस्से को जर्ये रिलीज डीड परमानन्द उर्फ परवत के पक्ष में निष्पादित करने से वर्तमान में उपरोक्त समस्त आराजीयात प्रति० न० 2 लगायत 6 (अपी0) के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है। पत्रावली में उक्त समस्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य व सबूत की अनदेखी कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर भी गोर नहीं किया कि पूर्व सह खातेदार राध्या की मृत्यु के बाद उसके समस्त क्रियाकर्म प्रतिवादी गुलाब द्वारा किये गये जिसकी मृतक राध्या के बाद विधिवत् उसके खाते की आराजी का नामान्तरण प्रतिवादीगण के पक्ष में खोला गया जिसके विरूद्ध वादिनी द्वारा कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलांट/प्रतिवादीगण उक्त समस्त आराजीयात पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज चले आ रहे है। अपी० (प्रतिवादीगण) का 100 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त आराजीयात पर कब्जा चला आरहा है जबकि वादिनी/रेस्पो० 60 वर्ष पूर्व ही अन्य नाते चली गयी और उसका उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। अपी०/प्रति० का उक्त आराजी पर लम्बा व एडवर्स पजेशन है तथा आराजीयात को वादिनी/रेस्पो० रोडी बाई के हिस्से में दर्ज करना न्यायोचित नहीं हैं। लेकिन इन तथ्यों पर गौर ना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्योंपर भी गोर नहीं किया गया कि प्रस्तुत वाद मे वादिनी द्वारा अपनी प्रास्थिति भूमिधारी के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रूप मे स्थापित नहीं की तथा उसका वाद के दिन तक सम्पत्ति पर कोई हित निहित नहीं था तथा आराजी पर वादिनी/रेस्पो०. का कोई कब्जा व स्वत्व नहीं था। इसलिये कब्जे के अभाव में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं हैं। लेकिन इन तथ्यों पर गौर ना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की जो काबिल खारिज है। योग्य अधी० न्याया० द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजात का सही तौर से एप्रीशियेट किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अधी० न्याया० में प्रतिप्रेषित कर ग्राम मण्डा व ग्राम गोयन्दा की संयुक्त आराजीयात के बारे में विधिवत साक्ष्य व दस्तातवेजात के आधार पर निर्णय करना था लेकिन अधी० न्याया० द्वारा ग्राम मण्डा की आराजीयात का ही निर्णय पारित करने का आदेश था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपूर्ण होने के कारण त्रुटिपूर्ण है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के अभाव में खारिज होने योग्य है। अपी० का ग्राम मण्डा व गोयन्दा की समस्त आराजीयात पर नियमित व निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ही उक्त समस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसे वादिनी/रेस्पो० बेदखल करना चाहती है तथा आराजीयात अपने हिस्से का बेचान करना चाहती है जिससे अपीलांट के साम्पत्तिक अधिकारो का हनन होगा। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रोडी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 113/2012 में ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा संख्या 1027 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 114/2012 में ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा संख्या 380, 467, 473, 474, 475, 464 कुल किता 6 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा व चाह संख्या 476 रकबा 18 बिस्वा का स्वयं को 1/2 हिस्से

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो वाद (वाद संख्या 114/2012 एवं वाद संख्या 113/2012) दिनांक 21.02.2012 को स्वीकार किए जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की गई जो अपील कमांक 15/231 व अपील कमांक 15/232 पर दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 16.10.2019 के द्वारा उक्त दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2012 निरस्त की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश पारित किया गया। अतः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.10.2019 की पालना में वाद संख्या 113/2012 में वर्णित ग्राम गोयन्दा की आराजी के सम्बंध में भी निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.2024 में केवल वाद संख्या 114/2012 में वर्णित ग्राम मण्डा की आराजी के सम्बंध में ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 113/2012 में वर्णित ग्राम गोयन्दा की आराजी के सम्बंध में कोई आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 में अंकित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.10.2019 की विधिवत रूप से पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 09.12.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 14.11.2012 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जााने का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.02.2024 में साक्ष्य वादी बन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा आदेशिका दिनांक 03.05.2024 में साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई और ना ही उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2024 पारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम किए जाने के उपरांत उभयपक्षकारान को साक्ष्य व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा